# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

*पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.*

2022-428RAAJodhpur2022-270RTA225 Kalyansingh ors Vs Kanaram etc

01. कल्याणसिंह पुत्र श्री पुरखाराम
02. अशोक पुत्र श्री पुरखाराम
03. बेदाराम पुत्र श्री पुरखाराम
04. जगदीश पुत्र श्री मीराराम

सभी जातियान् माली, निवासीगण– ग्राम रामदेवरा रजासनी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

**ब**

**ना**

**म**

01. कानाराम पुत्र श्री जमनाराम
02. भताराम पुत्र श्री जमनाराम
03. सीतादेवी पत्नी श्री गणपतराम
04. हीराराम पुत्र श्री जमनाराम
05. निर्मल पुत्र श्री जमनाराम
06. भीखाराम पुत्र श्री धनाराम
07. पप्पूराम पुत्र श्री धनाराम
08. प्रभुराम पुत्र श्री धनाराम
09. नेमाराम पुत्र श्री मीराराम
10. मांगीलाल पुत्र श्री चन्दाराम
11. मोतीलाल पुत्र श्री चन्दाराम
12. सेठाराम पुत्र श्री चन्दाराम
13. अर्जुनराम पुत्र श्री भवजी
14. जालाराम पुत्र श्री भवजी
15. देवाराम पुत्र श्री भवजी
16. माणकराम पुत्र श्री भवजी
17. जमना पत्नी श्री भवजी
18. कौशल्या पुत्री श्री भवजी पत्नी श्री बंशीलाल जी

सभी जातियान् माली, निवासीगण– ग्राम रामदेवरा रजासनी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2021 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 140/2021 कानाराम व अन्य बनाम भीखाराम इत्यादि**

**उपस्थित–**
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 5
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 19

# नि र्ण य

**दिनांक : 09 अक्टूबर 2024**

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 140/2021 अनवान कानाराम व अन्य बनाम भीखाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 27 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक से पांच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 126 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नं. 127 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नं. 128 रकबा 12.8487 हैक्टेयर खसरा नं. 138 रकबा 1.4241 हैक्टेयर, खसरा नं. 70 रकबा 0.3318 हैक्टेयर ग्राम रामदेवरा रजासनी तहसील तिवंरी के संबंध धारा 88, 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के जरिये प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण के वाद को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, जिस पर वाद स्वीकार किया जा चुका है तथा मौके पर कोई विवाद नहीं होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का बिंदु स्पष्ट है। इसके बावजूद भी अस्थाई निषेधाज्ञा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। मौके पर अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स अलग–अलग काबिज काश्त है तथा सभी की अलग–अलग ढाणियॉ बनी हुई है। उभय पक्ष में विवाद केवल रास्ते को लेकर है तथा विचारण न्यायालय द्वारा वाद में विभाजन प्रस्ताव तलब किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया हैं। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट्स के पक्ष में है। अपीलांट्स द्वारा अपने हक–हिस्से की भूमि में पूर्व में बने मकान के आगे का हिस्सा जो छत तक बना हुआ है और अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से पूर्ण नहीं हो पाया है। इसलिए ओपलाधीन आदेश अपास्त एवं निरस्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार कर लिया तथा वाद में प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट्स द्वारा उक्त देरी जानबूझ कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से पांच ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा चाहा गया अनुतोष अदालत हाजा द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 06.10.2022 के जरिये प्रदान किया जा चुका है तथा अपीलांट्स का मकान वर्तमान में पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है। यह भी अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे एवं अपीलांट्स को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश से पाबंद फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के अंतिम निस्तारण हेतु मामला विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में अपने निर्माणाधीन आवास को पूर्ण किये जाने का त्वरित अनुतोष चाहा गया है जो अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 06.10.2022 के जरिये प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अब हस्तगत अपील में अपीलांट्स का कोई अनुतोष शेष नहीं रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। लिहाजा मामले के अंतिम निस्तारण हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर